

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

परिवीक्षाकाल उपरांत प्रधानाध्यापक-मावि के स्थायीकरण हेतु विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों के संबंध में जारी आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-3 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र.सं	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संशोधन
I	II	III
1	KISHAN LAL MEERWAL GOVT. SECONDARY SCHOOL KAKRALI RAMPURA (216442), RAJGARH ALWAR	प्रधानाध्यापक-मावि स्थाईकरण आदेश शिविरा/मा/संस्था/बी-1/ 45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/2-307 दिनांक 09.02.2022 में स्थाईकरण तिथि 21.10.2021 के स्थान पर 22.10.2021 पढी जावें।
2	PURAN CHAND MEENA GOVT. SECONDARY SCHOOL GOVERDHANPURA (216444) RAJGARH ALWAR	प्रधानाध्यापक-मावि स्थाईकरण आदेश शिविरा/मा/संस्था/बी-1/ 45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/2-307 दिनांक 09.02.2022 में स्थाईकरण तिथि 21.10.2021 के स्थान पर 22.10.2021 पढी जावें।
3	BHAWANA SHAH JAISMAL BHIMRAJ GOLECHHA GOVT. SECONDARY SCHOOL KHED ROAD (220637), BALOTARA BARMER	प्रधानाध्यापक-मावि स्थाईकरण आदेश शिविरा/मा/संस्था/बी-1/ 45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/4-24 दिनांक 11.04.2022 में वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम SHAH JAISMAL BHIMRAJ GOLECHHA GOVT. SECONDARY SCHOOL KHED ROAD (220637)BALOTRA BARMER पढी जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।



सत्यमेव जयते

[Signature]

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

[Signature]

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/104 दिनांक 23.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत:-

- 1 सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, राज0, अजमेर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा)।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान।
- 8 रक्षित पत्रावली।

[Signature]

संयुक्त निदेशक-कार्मिक

[Signature]